राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 28/19. दायर दिनांक 5.11.2019

पीठासीन अधिकारी–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रविसिंह पुत्र स्व0 सुमेर सिंह जाति राजपूत नि0 रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़
2. श्रीमती कमोद कंवर पत्नि स्व0 सुमेर सिंह जाति राजपूत नि0 रूपनगढ़ तह0 रूपनगढ़
3. श्रीमती बिना कंवर पुत्री स्व0 सुमेर सिंह जाति राजपूत हाल नि0 हरदास का बास जिला सीकर

......वादीगण

बनाम

1. श्यामसिंह पुत्र तोपसिंह जाति राजपूत नि0 रूपनगढ़ (फौत)
   1.1 श्रीमती राजकंवर पत्नि स्व0 श्यामसिंह जाति राजपूत नि0 रूपनगढ़
   1.2 हेमसिंह पुत्र स्व0 श्यामसिंह जाति राजपूत नि0 रूपनगढ़
   1.3 श्रीमती राजकंवर पुत्री स्व0 श्यामसिंह जाति राजपूत नि0 रूपनगढ़
2. श्रीमती कैलाश कंवर पुत्री तोपसिंह जाति राजपूत हाल नि0 मरोली तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़

....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 ,53 रा0का0अधि0 22.07.2022

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जाजोता तहसील रूपनगढ़ में ख0न0 346 रकबा 2.9690 है0, ख0न0 347 रकबा 0.1294 है0, ख0न0 348 रकबा 0.0566, ख0न0 349 रकबा 0.1537 है0, ख0न0 69 रकबा 2.1195 है0 कुल खसरा 5 कुल रकबा 5.4282 है0 भूमि स्थित है। जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 में वाद वर्णित आराजी चाह, गै0मु0 रास्ता, गै0 मु0 आबादी तोपसिंह पुत्र भोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी रूपनगढ़ के नाम खातेदारी में दर्ज थी। तोपसिंह के बारे में 7 वर्ष से नही सुना गया है। तोफसिह 20 वर्ष से अधिक समय से लापता है। उनकों कही भी देखा नही गया है। इसलिये कानुन शहादत की धारा 108 के तहत तोफसिह को मृत माना जावेगा। ग्राम पंचायत रूपनगढ़ ने भी दिनांक 6.9.2009 को प्रमाण पत्र जारी किया है जिसमें तोफसिह पुत्र भोपाल सिंह को 20 वर्षो से लापता बतलाया है व उनके पारिवारिक सदस्यो की सूची दी है जो दावे के साथ संलग्न है। वाद वर्णित भूमि में तोफसिह के स्व0 सुमेर सिंह के वारिसान वादीगण संख्या 1,2,3 का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 श्याम सिंह पुत्र तोफसिह का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 2 कैलाश कंवर पुत्री तोप सिंह का 1/3 हिस्सा है। वादीगण का विवादित आराजी में 1/3 हिस्सा होते हुये भी उनके नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अलग से दर्ज नहीं है। वादीगण के नाम जमीन में 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अलग से दर्ज नहीं है। वादीगण के नाम जमीन में 1/3 हिस्सा दर्ज न होने से वे अपने हिस्से की भूमि पर ऋण प्राप्त नहीं कर सकते है व भूमि सुधार नहीं कर सकते है इस कारण वादीगण ने 1/3 हिस्से की सहकृषक घोषणा व 1/3 हिस्से में भूमि विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत किया है। वर्णित आराजी तोफसिह की स्वयं की अर्जित नही है। विवादित आराजी भोपाल सिंह जो तोफसिह के पिता थे उनकी जागीर की जमीन थी जो वादी संख्या 1 व 3 के परदादा थे व वादी संख्या 2 के दादा ससुर थे। वादग्रस्त आराजी तोफसिह के नाम खातेदारी दर्ज होने व उनके बारे में सात वर्ष से न सुनने व 20 वर्ष से लापता होने के कारण वादीगण के पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हुआ व दिन प्रतिदिन हो रहा है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 का सम्मन अदम तामिल प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया। वकील प्रतिवादी ने दा[illegible] किये जाने बाबत् सहमति जाहिर की। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 (तहसीलदार रूपनगढ़) की [illegible] जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम जाजोता के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2075 [illegible] 2019) में स्थायी के खाता संख्या 140 में ख0न0 346 रकबा 2.9690 है0 , ख0न0 347 रकबा 0.129[illegible] ख0न0 348 रकबा 0.0566 है0, ख0न0 349 रकबा 0.1537 है0, ख0न0 69 रकबा 2.1195 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.4282 [illegible] तोफसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार [illegible] नाम दर्ज है। प्रकरण [illegible] प्रकार का राजहित प्रभावित नही होना जाहिर किया गया है। प्रकरण में उभयपक्ष के वकील की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधि.
रूपनगढ़ (अजमेर)

...ने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। वादी संख्या 1 लगायत 3 को 1/3 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को 1/3 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घाषित किया जाकर रिकॉर्ड में निम्नानुसार अंकन करने के आदेश दिये जाते है–

क्र0 सं0	नाम खातेदार	ख0 न0	रकबा (है0)	किस्म
1	रविसिंह पुत्र सुमेर सिंह हि0 1/3 नि0 रूपनगढ़, कमोदकंवर पत्नि सुमेर सिंह हि0 1/3 नि0 रूपनगढ़, बिना कंवर पुत्री सुमेर सिंह हि0 1/3 हाल नि0 हरदास का बास जिला सीकर सर्वजाति राजपूत खातेदार	69/4 346/3	0.6704 0.9897	बं0 दो0 चा02 0.9789 बा01 0.0108
2	राजकंवर पत्नि श्यामसिंह हि0 1/3, हेमसिंह पुत्र श्यामसिंह हि0 1/3, राजकंवर पुत्री श्यामसिंह हि0 1/3 सर्वजाति राजपूत सर्वनिवासी रूपनगढ़ खातेदार	69/2 346/1	0.6704 0.9897	बं0 दो0 चा02 0.9789 बा0 1 0.0108
3	कैलाशकंवर पुत्री तोफसिंह हि0 पूर्ण जाति राजपूत हाल नि0 मरोली तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर खातेदार	63/3 346/2	0.6703 0.9896	बं0 दो0 चा02 0.9788, बा01 0.0108
4	रविसिंह पुत्र सुमेर सिंह हि0 1/9 नि0 रूपनगढ़, कमोदकंवर पत्नि सुमेरसिंह हि0 1/9 नि0 रूपनगढ़, बिना कंवर पुत्री सुमेरसिंह हि0 1/9 हाल निवासी हरदास का बास जिला सीकर, राजकंवर पत्नि श्यामसिंह हि 1/9, हेमसिंह पुत्र श्यामसिंह हि0 1/9, राजकंवर पुत्री श्यामसिंह हि0 1/9 नि0 रूपनगढ़, कैलाशकंवर पुत्री तोफसिंह हि0 1/3 हाल नि0 मरोली तह0 श्रीमाधोपुर जिला सीकर सर्वजाति राजपूत खातेदार	69/1 347 348 349	0.1084 0.1294 0.0566 0.1537	बं0दो0 रास्ता गै0मु0 रास्ता गै0मु0 चाह गै0मु0 आबादी

कमिश्नरी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस अंतिम डिक्री का भाग होगा।
निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़–अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2022.08.22 14:13:20 IST
Reason: SelfAttested